न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

ढिगावडा

पटवार हल्का [redacted] जरिये तहसीलदार बनाम अजीत कुमार

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 181 / 2025

19.11.2025

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 मय 177 आर. टी.एक्ट का प्रार्थी तहसीलदार राजगढ़ द्वारा गैरसायलान के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा 215 / 0.37 हैक्टर वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में कृषि प्रयोजनार्थ स्थित है। उक्त वर्णित आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ प्लॉटिग, बनाकर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि रूपान्तरण कर उपयोग किया जा रहा है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है। मौके पर अब यह भूमि पुनः कृषि करने योग्य नही रही है। अन्त में विवादित आराजी में कृषि भूमि पर प्लॉटिग, बनाकर अकृषि व्यवसायिक रूपान्तरण नही करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बावत अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि आराजी खसरा 215 / 0.37 हैक्टर वाके ग्राम बाढ ढिगावडा तहसील राजगढ जिला अलवर में कृषि प्रयोजनार्थ राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक दर्ज है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी पर प्लॉटिग, बनाकर अकृषि व्यवसायिक रूपान्तरण नही करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बावत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि *आराजी खसरा* 215 / 0.37 हैक्टर वाके ग्राम बाढ ढिगावडा *तहसील राजगढ* जिला अलवर में कृषि भूमि पर प्लॉटिग, बनाकर अकृषि व्यवसायिक रूपान्तरण नही करे। ना ही प्रश्नगत भूमि का रहन / बेचान ना करें। एवं राजस्व रिकॉर्ड व *मौके की यथास्थिती बनाये रखें।* ना ही किसी को भी बेचान / लीज डीढ / हकत्याग / उपहार / दान / हस्तान्तरण पर भी प्रतिबंधित रहेगा। अप्रार्थीगण जरिय नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संवध में अप्रार्थीगण कोई आक्षेप हो तो दिनांक 22.12.2025 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ
जिला–अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
	[illegible] अभिभाषक मार्फत से कार्य स्थगित किया है। दिनांक 05/02/26 को पेश हो S.D.O. 05/02/26 पत्रावली पेश। TDR राजगढ़ उप./ अप्रार्थीगण की ओर से गुलपाप के साथ एड. श्री पुखराज शर्मा उप./ आमी बहस TDR राजगढ़ व वकील अप्रार्थीगण की सुनी गई। बाद गौर/ मनन बहस के बाद प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTAct. 1955 को खारीज किया जाता है। साथ ही हाजा न्यायालय के पूर्व आदेश दि. 19-11-25 को भी इसी स्तर पर खारीज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा रेकर्ड भण्डार हो। SDO	